न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 85 सन 2021

अनवान :–

1. भादरसिह पुत्र बस्तीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुमेरसिह पुत्र बस्तीसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
2. नीतू कवंर पुत्री मालसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
3. शान्ति कंवर पुत्री बस्तीसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
4. राकेश पुत्र प्रेमकंवर पुत्री बस्तीसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
5. सुनिल पुत्र प्रेमकंवर पुत्री बस्तीसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
6. उषा पुत्री प्रेमकंवर पुत्री बस्तीसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
7. रेणू पुत्री प्रेमकंवर पुत्री बस्तीसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 260/152 के खसरा न0 325 की 4.1990हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 , मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह, नारगी के नाम से एवं रोही मोजा थिराना के खाता संख्या 405/374 की कुल 4.8060हैक भूमि हजारीराम पुत्र बस्तीसिह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वादी प्रतिवादी संख्या 1 , मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह, नारगी के नाम से दर्ज है जिसमें से मालसिह ,व उसकी पत्नी सुशीला कंवर का देहान्त हो चुका है जिसमे जायज वारिसान उसकी पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 है सुगनसिह व हजारीसिह लावल्द फोत हो चुके जिसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है व पुत्री प्रेमकवंर का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है इसप्रकार वाद भूमि जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह , नारगी के नाम से दर्ज है में से मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह ,प्रेमकंवर के फोत होने पर उनके नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन है एवं मृतक बस्तीसिह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहन मृतक प्रेमकंवर के पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह , नांगगी के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी प्रतिवादी संख्या 1 , मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह, नारगी के नाम सें दर्ज है जिसमें से मालसिह व नारगी का देहान्त हो चुका है इसीप्रकार सुगनसिह एवं हजारीसिह लावल्द फोत हो चुके है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/मामा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 260/152 के खसरा न0 325 की 4.1990हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 , मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह, नारगी के नाम से एवं रोही मोजा थिराना के खाता संख्या 405/374 की कुल 4.8060हैक भूमि हजारीराम पुत्र बस्तीसिह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वादी प्रतिवादी संख्या 1 , मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह, नारगी के नाम से दर्ज है जिसमें से मालसिह ,व उसकी पत्नी सुशीला कंवर का देहान्त हो चुका है जिसमे जायज वारिसान उसकी पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 है सुगनसिह व हजारीसिह लावल्द फोत हो चुके जिसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है व पुत्री प्रेमकवंर का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है इसप्रकार वाद भूमि जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह , नारगी के नाम से दर्ज है में से मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह ,प्रेमकंवर के फोत होने पर उनके नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन है एवं मृतक बस्तीसिह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहन मृतक प्रेमकंवर के पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 260/152 के खसरा न0 325 की 4.1990हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 , मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह, नारगी के नाम से एवं रोही मोजा थिराना के खाता संख्या 405/374 की कुल 4.8060हैक भूमि हजारीराम पुत्र बस्तीसिह के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी प्रतिवादी संख्या 1 , मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह, नारगी के नाम सें दर्ज है जिनमें से मालसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी एक मात्र पुत्री नीतूकंवर प्रतिवादी संख्या 2 है सुगनसिह एवं हजारीसिह लावल्द फोत हो चुके है जिसके प्रथम श्रेणी के वारिसान उसके भाई /बहन है एवं वादी की बहन प्रेमकंवर का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है इसीप्रकार नारगी जो वादी की माता है का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया उसके वारिसान है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है अर्थात बस्तीराम के वारिसान में से मालसिह , सुगनसिह ,हजारीसिह , प्रेमकंवर के देहान्त होने के बाद प्रथम श्रेणी के जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के द्वारा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार उपरोक्त कथनों की पूष्टि होती है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 260/152 के खसरा न0 325 की 4.1990हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 , मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह, नारगी के नाम सें दर्ज है में से नांरगी , मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 405/374 की कुल 4.8060हैक भूमि जो हजारीसिह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भादरसिह पुत्र बस्तीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सुमेरसिह पुत्र बस्तीसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर।
2. नीतू कवंर पुत्री मालसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
3. शान्ति कंवर पुत्री बस्तीसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
4. राकेश पुत्र प्रेमकंवर पुत्री बस्तीसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
5. सुनिल पुत्र प्रेमकंवर पुत्री बस्तीसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
6. उषा पुत्री प्रेमकंवर पुत्री बस्तीसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
7. रेणू पुत्री प्रेमकंवर पुत्री बस्तीसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 85 सन 2021 निर्णय दिनांक– 24/08/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 260/152 के खसरा न0 325 की 4.1990हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 , मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह, नारगी के नाम सें दर्ज है में से नांरगी , मालसिह , सुगनसिह , हजारीसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 405/374 की कुल 4.8060हैक भूमि जो हजारीसिह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/08/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर